सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2023/104 दर्ज दिनांक : 17.07.2023

1. सलेमान बानो पत्नी स्व. आमीन खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. मुबारिक खान पुत्र स्व. आमीन खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. आरीफ पुत्र स्व. आमीन खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. हाकम अली पुत्र स्व. मदारी खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, मोहल्ला आथूणा मणीयारों के कुये के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. नूर बानो पुत्री स्व. मदारी खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, मोहल्ला आथूणा मणीयारों के कुये के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. भंवरी बानो पुत्री स्व. मदारी खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, मोहल्ला आथूणा मणीयारों के कुये के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. आमीन बानो पुत्री स्व. मदारी खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, मोहल्ला आथूणा मणीयारों के कुये के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. मोबीन बानो पुत्री स्व. मदारी खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, मोहल्ला आथूणा मणीयारों के कुये के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. मोहम्मद इकबाल खान पुत्र स्व. ताजमोहम्मद जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. निसार मोहम्मद खान पुत्र स्व. ताजमोहम्मद जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. तसीलम बानो पुत्री स्व. ताजमोहम्मद जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. मदीना बानो पुत्री स्व. ताजमोहम्मद जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:14 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
[illegible] 1 ता 5 व 8 ता 9 श्री राम[illegible] शर्मा
प्रतिवा[illegible] सं. 6 ता 7 श्री प्रवीण कुमार [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
चूरू (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णय प्रारम्भिक डिक्रीः–

निर्णय तिथिः– 16.01.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 वास्ते घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा, तकासमा किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि ग्राम गाजसर तहसील चूरू के रकबा में एक कृषि भूमि खसरा संख्या 502/4.0975 हैक्ट. बारानी अवस्थित है। यह कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज परपितामह आजम खां पुत्र नब्बू खां जाति कायमखानी निवासी चूरू के नाम से राजस्व अभिलेख में वर्तमान में दर्ज है।
2. वादीगण के पूर्वज व पितामह आजम खां पुत्र नब्बू खां जिनके नाम से वादगत कृषि भूमि का नामान्तरकरण राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जिनका स्वर्गवास काफी अर्सा पूर्व हो चुका है। उनकी मृत्यु होने के पश्चात वादीगण के पिता व उनके भाई कृषि पेशा अनपढ़ होने से आजम खां की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया अपितु बाहमी बंटवारे में उत्तराधिकार विधि से प्राप्त कृषि भूमि में नींव सींव डालकर अपने–अपने कब्जे में लेकर काश्त करते आ रहे है। वाद–पत्र की पारदर्शिता के लिये वादीगण के पूर्वज खातेदार आजम खां नबू खां का वंशवृक्ष निम्न है :–

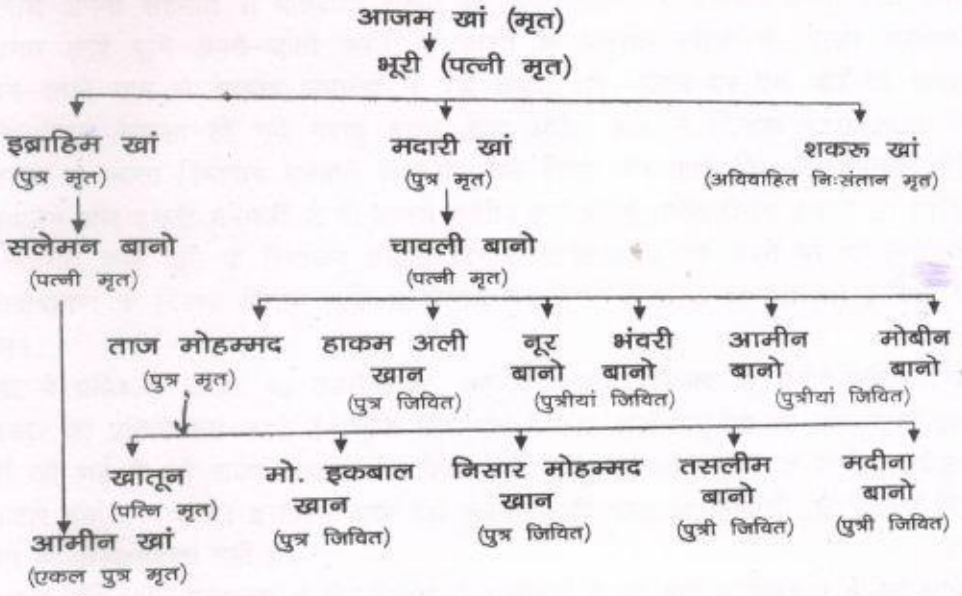

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

3. उपरगामी मद संख्या 02 में दर्ज वंशवृक्ष के मुताबिक वादगत कृषि में मृतक खातेदार आजम खां वल्द नबू खां, जिनके नाम से ही वर्तमान में वादगत कृषि भूमि नामान्तरण दर्ज है। तदनुसार ही आजम खां की मृत्यु के पश्चात उतराधिकार विधि से वादीगण के 1/2 हिस्सा में बहिस्सा बराबर–बराबर कृषि भूमि निहित होती तथा शेष प्रतिवादीगण क्रमशः हाकम अली के 1/12 हिस्सा, नूर बानो के 1/12, भंवरी बानो के 1/12 हिस्सा, आमीन बानो के 1/12 हिस्सा, मोबीन बानो के 1/12 हिस्सा, मोहम्मद इकबाल के 1/48 हिस्सा, तसलीम बानो के 1/48 हिस्सा, मदीना बानो के 1/48 हिस्सा तथा इसी प्रकार निसार मोहम्मद के भी 1/48 हिस्सा उतराधिकार विधि से निहित होता है व इसी मुताबिक वादीगण व प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे करके अपने–अपने हिस्से को कब्जा में लेकर निरंतर व निर्बाधित रूप से बिना किसी विवाद के काश्त करते आ रहे हैं।

4. वादीनी सलेमन बानो एक जईा गृहिणी महिला है तथा शेष वादी संख्या 02 व 3 उनके पुत्र मजदूरी करने के अभिप्राय राजस्थान प्रांत से रहते हैं–चूंकि वादीनी सलेमन बानो उक्त वादगत हिस्से में प्राप्त समस्त वादीगण के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि जो उन्हें बाहमी बंटवारे से प्राप्त रही है में काश्त करते आ रहे हैं। परन्तु प्रतिवादीगण संख्या में अधिक होने से वादीगण के हिस्से व कब्जे व काश्त की भूमि को लेकर अकसर काश्त के समय लूंग लकड़ी पाला को लेकर तथा सीमा को विवाद को लेकर भी अक्सर तनाजा उत्पन्न करने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिसके लिये वादीगण को अपनी कृषि भूमि पृथक से करवाये जाने की महति आवश्यकता हो गई है।

5. वादगत कृषि भूमि की बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा कि वादगत कृषि भूमि का बंटवारा अपनी सहमति से प्रतिवादी संख्या 10 के कार्यालय में चलकर करवा लेवे, ताकि वादगत कृषि भूमि अपने–अपने कब्जा व काश्त के अनुसार खाता भी अलग करवाकर अपने–अपने नाम से राजस्व अभलेख में दर्ज करवा लेवे। जिस पर एक बार तो समस्त प्रतिवादीगण सहमत हो गये परन्तु इसके बाद अंतिम रूप से दिनांक 12.07.2023 को सहमति से खाता विभाजन करवाने से इंकार कर दिया और कहा कि हम विभाजन नहीं करवायेगे और हमारी मनमर्जी से ही काश्त करेंगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 ने वादगत कृषि भूमि के विभाजन इंकारी दिनांक 12.07.2023 को करने पर वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय दावा व बिनाय मुखासमत (Cause of action) हासिल हो गया।

6. दावा में प्रतिवादी संख्या 10 तहसीलदार, चूरू राजस्थान सरकार के बतौर भूमिधारी के सरकार का प्रतिनिधित्व करते है। चूंकि वाद–पत्र में ऐसा कोई अनुतोष की मांग वादी द्वारा नहीं की गई है जो राज्य सरकार के विरूद्ध हो परन्तु भूमिधारी होने से उन्हें तकमीलन पक्षकार बनाया गया है। इसलिये दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

7. वादगत कृषि भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है एवं वाद के पक्षकार भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास करने से अदालतवाला को वाद की सुनवाई का सम्पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है।

8. दावा घोषणात्मक व चिरनिषेधाज्ञा तथा कृषि [illegible] विभाजन की डिक्री प्राप्त का है। जिसको अन्दर मियाद न्यायालय में [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

(क) घोषित किया जावे कि वादगत कृषि भूमि रकबा गाजसर तहसील चूरू स्थित खसरा संख्या 502 / 4.0975 हैक्ट. कृषि भूमि में वादीगण का 1 / 2 हिस्सा विरासतन उत्तराधिकार विधि से प्राप्त है।

(ख) वादगत कृषि भूमि में वादी के 1 / 2 हिस्सा को उसके कब्जा व काश्त के अनुसार प्रोपर मीटस एंड बांउड करके राजस्व अभिलेख में खसरा को मूल खसरा को मीन दर्ज करके पृथक खाते से लगान कायम किया जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 10 को आदेशित किया जावे।

(ग) जरिये चिरनिषेधाज्ञा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 के विरूद्ध इस आशय की आज्ञप्ति जारी की जावे कि वे वादगत कृषि भूमि में वादीगण के बंटे हुये 1 / 2 हिस्से से बेदखल नहीं करे व न ही उनके कब्जा काश्त उपभोग में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न करे वा ना ही कोई ऐसा कार्य या उपकार्य करे कि जिससे वादीगण के हितों पर विपरीत असर पड़ता हो।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादीगण व करीने इंसाफ हो जिसकी इस्तदुआ वाद–पत्र में करने से रह गई और दौराने दावा उत्पन्न हो जावे को भी अता फरमाई जावे।

(ड़) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

9. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व 8 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशन शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश नहीं किया जाकर राजीनामा पेश किया गया जिसको शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 तकमीलन पक्षकार बनाया गया है। राजीनामे के अनुसार ग्राम गाजसर तहसील चूरू के रकबा स्थित खसरा संख्या 502 / 4.0975 हैक्ट. कृषि भूमि जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज परपितामह आजम खां पुत्र नब्बू खां के नाम से राजस्व अभिलेख में चली आ रही उक्त पैतृक कृषि भूमि (Ancestal) में अपने–अपने कब्जा व काश्त के आधार पर खातेदारी में विभाजन करवाये जाने का वाद वादीगण की ओर से संस्थित किया गया है। वादगत कृषि भूमि के पूर्वज आजम खां पुत्र नब्बू खां की मृत्यु के पश्चात् से उत्तराधिकार विधि से उनके तीन पुत्र सन्तान क्रमशः इब्राहीम खां, मदारी खां व शकरू खां में अविभक्त रूप से न्यायगमित हुई। शकरू खां पुत्र स्व. आजम खां अविवाहित रहे थे जिनकी मृत्यु अविवाहित रूप से काफी समय पूर्व हो जाने से मृतक शकरू खां के हिस्से की सम्पत्ति उनके शेष जीवित दो भ्रातागण इब्राहीम खां, मदारी खां पुत्रगण स्व. आजम खां को बहिस्सा बराबर–बराबर के निहीत हो गई तदनुसार वादगत सम्पति पर वे अपने जीवनकाल में ही नींव–सींव कायम कर मौके पर काश्त अनुसार काबिज चले आये। इब्राहिम खां व मदारी खां पुत्रगण आजम खां कृषि पेशा व अनपढ़ थे जिनको कृषि भूमि नामांतरण की जानकारी नहीं रही कालांतर में मृत्यु के पश्चात् वादगत सम्पति में मृतक इब्राहीम खां व उनकी पत्नी सलेमन बानो की मृत्यु पर उनके एकल पुत्र आमीन खां में वादगत सम्पति का 1 / 2 हिस्सा उत्तराधिकार से प्रतिस्थापित हुआ। शेष 1 / 2 हिस्सा कृषि भूमि जो मदारी की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारीगण में उनके [illegible] ताज मोहम्मद, हाकम अली खां चार पुत्रियां नूर बानो, भंवरी बानो [illegible] रही। ताज मोहम्मद व उनकी पत्नी खातून की मृत्यु हो चुकी है। [illegible] को अपने पिता मदारी के हिस्से से 1 / 6 हिस्सा यानि कुल वादगत कृषि भूमि में उनका 1 / 12 हिस्सा रहा जो उनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

मृत्यु के बाद उनके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 06 ता 09 क्रमशः मोहम्मद इकबाल खान, निसार मोहम्मद खान, तसलीम बानो व मदीना बानो पुत्र व पुत्रियां स्व. ताज मोहम्मद को संभाग में प्राप्त हुआ। उभय—पक्ष वाद—पत्र बादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादगत कृषि भूमि ग्राम गाजसर तहसील चूरू के रकबा स्थित को परस्पर सहमति व स्वीकृति तथा कब्जा काश्त के आधार पर बरूये राजीनामा डिक्री के विभाजन करवाना चाहते है और उसी के अनुसार खाते का विभाजन राजस्व अभिलेख में भी करवाना चाहते है। जिस पर सभी पक्षकार सहमति पूर्वक न्यायालय हाजा में एक साथ उपस्थित होकर दावे का अंतिम निपटारा बरूये राजीनामा निम्न प्रकार से करते हैं। वादगत कृषि भूमि ग्राम गाजसर के रकबा स्थित खसरा संख्या 502 की तादादी 4.0975 हैक्ट. कृषि भूमि जिस पर वादीगण का 1/2 हिस्सा पूर्वी तरफ का रहेगा—जिस हिस्से को राजीनामा के साथ संलग्न मानचित्र में बरंग पीले से दर्शाया हुआ है और इसी प्रकार शेष 1/2 हिस्सा पश्चिमी तरफ का बरंग लाल पश्चिमी तरफ का प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 का रहेगा। जिस पर उभयपक्ष काबिज है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा अपने—अपने कब्जे व काश्त के अनुसार विभाजन हेतु सदैव सहमत होकर विभाजन कर लिया और अपने—अपने हिस्से पर काबिज हो चुके हैं। नक्शा जिस पर उभय पक्ष अपने—अपने विभाजित हिस्से पर काबिज होने की पुष्टि करते है इस राजीनामा का अहम भाग रहेगा। इस प्रकार विभाजन कर अलग खाता व लगान राजस्व अभिलेख में कायम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 06 मोहम्मद इकबाल खान व प्रतिवादी संख्या 07 निसार मोहम्मद खान विदेश आबूधाबी रहते हैं। जिनके द्वारा उक्त वाद में प्रत्येक प्रकार की कार्यवाही राजीनामा आदि हेतु भारत के राजदूतावास आबूधाबी के द्वारा दिनांक 05.08.2024 को सत्यापित किया गया मुख्त्यारनामा से श्रीमती परवीन बानो धर्मपत्नी इकबाल खान को अधिकृत किया हुआ है। अतः उक्त अधिकृत प्रतिनिधि प्रतिवादी संख्या 06 व 07 की ओर से राजीनामा पर हस्ताक्षर कर राजीनामा को स्वीकार करती है।

अतः राजीनामा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण वादी एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण को जरिये राजीनामा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 10 तहसीलदार चूरू को जरिये राजीनामा डिक्री की पालना में विभाजित सम्पदा को राजीनामा के अनुसार पृथक से राजस्व अभिलेख में खाता कायम कर अमल दरामद किया जावे।

10. अधिवक्ता उभयपक्ष ने बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है जिसका मौखिक बंटवारा पूर्व में हो चुका है परन्तु विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। मौखिक बंटवारा के अनुसार सभी सह खातेदार अपने—अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। राजीनामा के अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर दावा में निर्णय व डिक्री फरमाया जावे।

11. मैंने प्रकरण में विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात, राजीनामा अंतिम चौसाला आधार सम्वतः— 2071—2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि यह वाद वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, [illegible] धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा, तकासमा हेतु [illegible] गया है। वाद ग्राम गाजसर, तहसील चूरू स्थित कृषि भूमि [illegible] हैक्टेयर (बारानी) से सम्बन्धित है, जो वर्तमान में [illegible] स्व. आजम खां पुत्र नब्बू खां के नाम दर्ज है। वादपत्र के अनुसार खातेदार स्व. अ[illegible] खां की मृत्यु के पश्चात् उक्त कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

भूमि उत्तराधिकार विधि से उनके वंशजों में अविभक्त रूप से न्यायगमित हुई। पक्षकारगण अपने–अपने हिस्से के अनुसार लम्बे समय से कब्जा एवं काश्त करते आ रहे हैं, किन्तु आपसी विवाद की सम्भावना के कारण विधिवत विभाजन एवं पृथक खाता कायम किया जाना आवश्यक हो गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई लिखित जवाब पेश नहीं किया गया, अपितु समस्त पक्षकारगण द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय ने अभिलेख पर लिया। राजीनामा से यह स्पष्ट है कि पक्षकारगण ने वादगत कृषि भूमि का विभाजन अपने–अपने कब्जा व काश्त के अनुसार कर लिया है। राजीनामा के अनुसार वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 502, रकबा 4.0975 हैक्टेयर में से पूर्वी भाग (पीले रंग से दर्शाया गया भाग) वादीगण का 1/2 हिस्सा रहेगा, पश्चिमी भाग (लाल रंग से दर्शाया गया भाग) प्रतिवादी संख्या 01 से 09 का 1/2 हिस्सा रहेगा। भविष्य में राजीनामा के साथ संलग्न मानचित्र (नक्शा) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। सभी पक्षकार अपने–अपने हिस्से पर वर्तमान में काबिज हैं तथा भविष्य में भी उसी अनुसार काश्त करेंगे। न्यायालय को प्रस्तुत राजीनामा विधि–सम्मत एवं स्वेच्छापूर्ण पाया गया है। राजीनामा कानून अथवा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं है। अतः

निर्णय

आदेश 23 नियम 3 सीपीसी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है। तहसीलदार चूरू राजीनामा व नक्शा के अनुरूप ही खाता विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

राजीनामा के संलग्न नक्शा भविष्य में दावा एवं डिक्री का भाग व जूज माना जावेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:14 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2023 / 104 दर्ज दिनांक : 17.07.2023

1. सलेमान बानो पत्नी स्व. आमीन खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. मुबारिक खान पुत्र स्व. आमीन खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. आरीफ पुत्र स्व. आमीन खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादीगण–

<u>बनाम</u>

1. हाकम अली पुत्र स्व. मदारी खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, मोहल्ला आथूणा मणीयारों के कुये के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. नूर बानो पुत्री स्व. मदारी खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, मोहल्ला आथूणा मणीयारों के कुये के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. भंवरी बानो पुत्री स्व. मदारी खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, मोहल्ला आथूणा मणीयारों के कुये के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. आमीन बानो पुत्री स्व. मदारी खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, मोहल्ला आथूणा मणीयारों के कुये के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. मोबीन बानो पुत्री स्व. मदारी खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, मोहल्ला आथूणा मणीयारों के कुये के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. मोहम्मद इकबाल खान पुत्र स्व. ताजमोहम्मद जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. निसार मोहम्मद खान पुत्र स्व. ताजमोहम्मद जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. तसीलम बानो पुत्री स्व. ताजमोहम्मद जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. मदीना बानो पुत्री स्व. ताजमोहम्मद जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं. 13, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:14 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित [illegible] अधिवक्ता
वादीगण [illegible] सैनी
प्रतिवादी सं. 1 ता 5 व 8 ता 9 श्री रामकिशन शर्मा
प्रतिवादी सं. 6 ता 7 श्री प्रवीण कुमार शर्मा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:पर्चा डिक्रीः–

यह वाद वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा हेतु प्रस्तुत किया गया था। पक्षकारगण द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। ग्राम गाजसर, तहसील चूरू, जिला चूरू स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 502, रकबा 4.0975 हैक्टेयर (बारानी) में वादीगण का 1/2 (आधा) हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 से 09 का 1/2 (आधा) हिस्सा उत्तराधिकार एवं आपसी राजीनामा के अनुसार विधिवत स्थापित है। राजीनामा के अनुसार वादगत कृषि भूमि का पूर्वी भाग (मानचित्र में पीले रंग से दर्शित) वादीगण के हिस्से में पश्चिमी भाग (मानचित्र में लाल रंग से दर्शित) प्रतिवादी संख्या 01 से 09 के हिस्से में रहेगा। राजीनामा के साथ संलग्न मानचित्र (नक्शा) इस डिक्री का अभिन्न अंग माना जावेगा।

प्रतिवादी संख्या 10 तहसीलदार, चूरू को आदेशित किया जाता है कि वह इस डिक्री के अनुसार कृषि भूमि का राजस्व अभिलेखों में विभाजन करे, मूल खसरा से पृथक–पृथक खसरे एवं खाते कायम करे, वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से अलग–अलग खाता एवं लगान दर्ज कर अमल–दरामद सुनिश्चित करे।

राजीनमा के संलग्न नक्शा भविष्य में दावा एवं डिक्री का भाग व जूज माना जावेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करें। तहसीलदार, चूरू को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 16.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:14 IST
Reason: SelfAttested